न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 3/2019

बउनवान

1. श्रीमति बृजेश आयु 35 वर्ष पत्नी श्री ओमप्रकाश पुत्री स्व. श्री माणकचन्द जाति राठी
2. ओमप्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र श्री गोपाललाल जाति राठी निवासीगण बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0) (अपीलांट्स)

बनाम

1. कालूलाल आयु 82 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल
2. पुष्पाबाई आयु 80 वर्ष पत्नी श्री कालूलाल
3. मुकेश सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र श्री कालूलाल जातिगण राठी निवासीगण बमोरीकलां पुलिस थाना मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.) हाल निवासीगण आवंली रोजड़ी गैस गौदाम के सामने रावतभाटा रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

(रेस्पोंडेंट्स)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.01.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल बउनवान मुकदमा कालूलाल वगैरह बनाम मुकेश सिंह वगैरह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 5 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम

उपस्थिति :–1. श्री हरिओम चर्तुवेदी, अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2)
3. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट कम 1)

निर्णय दिनांक 22.03.2024

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के प्रकरण संख्या 2/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 कम 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.04.2019 से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 के विरूद्ध 4–4 हजार रूपये प्रतिमाह पृथक–पृथक जीवनयापन हेतु गुजारा भत्ता दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के दो पुत्र माणकचन्द एवं मुकेशसिंह थे। जिनमें माणकचन्द की मृत्यु हो गई। रेस्पो0 कम 1 व 2 ने लगभग 20 वर्ष पूर्व अपनी कृषि आराजी के तीन हिस्से किये एवं एक हिस्सा अपने स्वयं के [illegible]ाह हेतु रखा तथा दो हिस्से अपने दोनो पुत्रों रेस्पो0 कम 3 मुकेश सिंह एवं स्व. [illegible] को दिये। रेस्पो0 कम 1 व 2 ने रेस्पो0 कम 3 से साज रचकर [illegible] तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की। स्व. माणकचन्द के 6 पुत्रियां है एवं माणकचन्द की बेवा श्रीमति [illegible]बाई है। बरफाबाई को अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 कम 1 व 2 ने पक्षकार नहीं [illegible]। श्रीमति बरफाबाई अपने पति स्व. माणकचन्द के हिस्से की कृषि भूमि को काश्त करवाकर अपना

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:03:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

जीवन यापन कर रही है। श्रीमति बरफाबाई की 6 पुत्रियों में अपीलांट क्रम 1 भी पुत्री है। अपीलान्ट के अलावा 5 पुत्रियां मूर्तिबाई, अन्तिमा, नीतू, कुमारी सविता एवं कुमारी हर्षिता हैं। कुमारी सविता एवं हर्षिता दोनो बारां में अध्ययनरत हैं एवं कुंवारी हैं जिनका सम्पूर्ण व्ययभार बरफाबाई पर है। अपीलान्ट के पिता माणकचन्द के हिस्से की कृषि भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है, ना ही अपीलान्ट काश्त करते हैं। अपीलान्ट अपनी विधवा मां को कृषि भूमि काश्त करवाने में सहयोग मात्र करते हैं। इसी कारण रेस्पो0 क्रम 1 ता 3 ने साज रचकर यह कार्यवाही प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट क्रम 1 शादीशुदा है एवं अपीलान्ट क्रम 2 उसका पति है जिन पर किसी भी रूप में विधिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। साथ ही रेस्पो0 क्रम 1 व 2 ने अपने जीवन यापन हेतु पैतृक सम्पत्ति में अपना 1/3 हिस्सा अपने पास रख रखा है जिसकी मुनाफा काश्त की राशि भी रेस्पो0 क्रम 1 व 2 ही प्राप्त करते हैं। रेस्पो0 क्रम 1 व 2 अपने पुत्र रेस्पो0 क्रम 3 के साथ कोटा में निवास करते हैं। रेस्पो0 क्रम 1 ता 3 अपनी विधवा पुत्रवधू बरफाबाई को घर से निकालने पर आमादा हैं। जबकि बरफाबाई पर अपनी पुत्रियों के सामाजिक रीति रिवाज एवं दायित्वों का निर्वहन करने के साथ–साथ अपनी दो कुंवारी पुत्रियों की शिक्षा एवं विवाह आदि की जिम्मेदारियां हैं। उक्त सम्पूर्ण तथ्य पत्रावली पर विद्यमान होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2019 निरस्त फरमावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पो0 क्रम 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा तथा वकील अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. क्रम 4 के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा इसलिये रेस्पो. क्रम 4 के नाम के सम्मुख लाल स्याही से डिलीट अंकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते था लिखित बहस इस आशय की पेश की कि अपीलांट के वंशवृक्ष अनुसार दो पुत्र माणकचन्द एवं मुकेश हैं। माणकचन्द की मृत्यु हो गई है जिसकी वारिस पत्नि बरफाबाई एवं 6 पुत्रियां बृजेश, मूर्तिबाई, अन्तिमा, नीतू, सविता एवं हर्षिता हैं। रेस्पो. क्रम 1 ने अपने दोनों पुत्रों के साथ मिल बैठकर अपने खाते की पैतृक आराजीयात का बंटवारा कर तीन हिस्से कर लिये। कालूलाल ने अपने हक हिस्से की आराजीयात 32/87 का बेचान दिनांक 07.08.2020 को तथा शेष हिस्सा 26/87 का दान पत्र दिनांक 09.09.2020 को अपने पौत्र यशवन्तसिंह पुत्र मुकेश सिंह के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। आराजी के बेचान से प्राप्त प्रतिफल भी रेस्पो. क्रम 1 के पास है। रेस्पो. क्रम 1 का रिहायशी मकान का पट्टा कालूलाल के नाम से पट्टा संख्या 1362 दिनांक 05.01.2022 जो ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.01.2022 [illegible]यन दिनांक 06.01.2022 को करवा दिया। रेस्पो. क्रम 1 अपने छोटे पुत्र मुकेश [illegible] मकान में रावतभाटा रोड कोटा रहता है। रेस्पोडेन्ट क[illegible]टाशुदा मक[illegible] खाली पड़ा है। मृतक माणकचन्द के मकान का पट्टा मृतक की विधवा बरफाबाई के नाम से ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा संकल्प संख्या 3 दिनांक 05.01.2022 से पट्टा [illegible] 1364 दिनांक 06.01.2022 जारी हुआ जिसका पंजीयन दिनांक 06.01.2022 को हुआ। उक्त आवास में बरफाबाई अपनी पुत्रियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:03:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सहित निवास करती है और मृतक माणकचन्द के खाते की आराजी से अपना एवं अपनी पुत्रियों का भरण पोषण कर रही है। अपीलान्ट्स का रेस्पो. कम 1 कालूलाल के मकान के किसी भी हिस्से पर दखल नहीं है। रेस्पो. कम 1 ने अपने छोटे पुत्र मुकेशसिंह के बहकावे में आकर पौत्री बृजेश एवं दामाद ओमप्रकाश के विरूद्ध रंजिशन मिथ्या कार्यवाही पेश की है जो निरस्तनीय होने से निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश युक्तियुक्त एवं विधिनुरूप ही पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माणकचन्द के समस्त वारिसान जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं को पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही उनका पक्ष सुना है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पो. कम्र 1 कालूलाल के मृतक पुत्र माणकचन्द के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर सबको सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसंगत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:03:10 IST
Reason: SelfAttested